संख्या-68/2021/223 मंत्री/26-3-2020

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2021

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धत विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को समय से भोजन उपलब्ध कराये जाने के लिये मशीनरी सामग्री जैसे-रोटी बनाने की मशीन, आटा गूथने की मशीन, भोजन गर्म करने की टेमरेचर मशीन, जूस बनाने वाली मशीन, सलाद काटने की मशीन इत्यादि की आपूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-999/स0क0/आ0प0वि0-प्रकोष्ठ/(मशीनरी सामग्री)/ 201-20, दिनांक-11.07.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 94 राजकीय आश्रम पद्धत विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को समय से भोजन उपलब्ध कराये जाने के लिये मशीनरी सामग्री जैसे-रोटी बनाने की मशीन, आटा गूथने की मशीन, भोजन गर्म करने की टेमरेचर मशीन, जूस बनाने वाली मशीन, सलाद काटने की मशीन इत्यादि की आपूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4225-01-789-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-26-मशीन और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0-500.00 लाख के सापेक्ष प्रदेश में संचालित 94 राजकीय आश्रम पद्धत विद्यालयों में से प्रथम चरण में 28 विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को समय से भोजन उपलब्ध कराये जाने के लिये मशीनरी सामग्री जैसे-रोटी बनाने की मशीन, आटा गूथने की मशीन, भोजन गर्म करने की टेमरेचर मशीन, जूस बनाने वाली मशीन, सलाद काटने की मशीन इत्यादि की आपूर्ति हेतु प्रति विद्यालय रू0-17.30 लाख की दर से कुल धनराशि रू0-94x17.30=1626.20 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0-484.40 लाख (रू0-चार करोड़ चौरासी लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1)- निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको, लखनऊ के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(3)- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)- उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण निर्धारित ससमय में पूर्ण कर लिया जाये।

(6)- उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7)- धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नही रखी जायेगी।

(8)- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9)- धनराशि का आवंटन बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही किया जायेगा।

(10)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24 मार्च 2020, 11 अप्रैल, 2020, 18 मई, 2020 तथा 29 सितम्बर, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11)- उक्त प्रायोजन की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त कार्य की मात्राओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(12)- कार्यदायी संस्था यू0पी0 सिडको द्वारा वर्तमान में प्रवृत्त सम्बन्धित वित्तीय नियमों एवं जेम पोर्टल से खरीद किये जाने सम्बन्धी शासनादेशों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उक्त क्रय किया जायेगा।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के अन्तर्गत मानक मद-26-मशीने और साज-सज्जा और संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव

पृसं0-68/2021/223 मंत्री (1)/26-3-2020 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।